न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
73/18	27.04.2018	25.06.2019

1. अभय सिंह पुत्र श्री रघुवीर जाति अहीर निवासी जडथल तहसील व जिला रेवड़ी हरियाणार राज0।

:अप्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1– जगराम पुत्र बुद्धा (फोत)
1/1– फूलपति पत्नी जगराम
1/2– रामफल
1/3– दुलीचन्द पुत्रान जगराम
1/4/1– सुनीता उर्फ लीली बेवा बिशम्बर
1/4/2– विनित पुत्र बिशम्बर नाबालिग
1/4/3– मोना पुत्री बिशम्बर नाबालिग जरिये सरपरस्त माता सुनीता उर्फ लीली
1/5– चेतराम पुत्र जगराम जाति अहीर निवासी जडथल तहसील व जिला रेवाड़ी
1/6– गुड्डी उर्फ ओमवती पत्नी प्रकाश पुत्री जगराम जाति अहीर निवासी लोचबका पोस्ट सैयद शाहपुर तहसील पटौदी जिला–गुडगाँवा हरियाणा।
1/7– सरोज पुत्री जगराम पत्नी नामालूम जाति अहीर निवासी लोचबका पोस्ट सैयद शाहपुर तहसील पटौदी जिला–गुडगाँवा हरियाणा।
2– रघुवीर पुत्र बुद्धा (फौत)
2/1– अमर सिंह
2/2– रामसिंह
2/3– घनश्याम पुत्रान रघुवीर
2/4– बिरमा देवी पुत्री रघुवीर जाति अहीरान निवासीयान जडथल तहसील व जिला रेवाड़ी हरि0।
3– श्रीमति मोहरली पुत्री बुधा पत्नी स्वयं बलबीर सिंह जाति अहीर ग्राम बढ़ली की ढ़ाणी पोस्ट मानका तहसील मुण्डावर जिला–अलवर राज0।

:–प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी
अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार यादव अभिभाषक अप्रार्थी
2. श्री गिरधारी लाल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान ने विस्तृत तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी पूरी आशा है। पेश कर्दा प्रार्थना पत्र, व शपथ पत्र से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान विस्तृत तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा है। पेश कर्दा प्रार्थना पत्र, व शपथ पत्र से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र बखूबी प्राईमाफेसाई आयद व साबित होता है। उपरोक्त अनुवान की अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन थी की जिसका निस्तारण एक तरफा में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 02.06.2014 को पारित किया जा चुका है नकल आदेश संलग्न है। आदेश दिनांक 02.06.2014 की जानकारी मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को कभी भी नही थी और ना ही कभी भी हमारी किसी भी न्यायालय श्रीमान द्वारा जात खास ही तामील ही कराई गई है बल्कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बाला बाला फर्जकार करते हुये तथा न्यायालय श्रीमान का अन्धेरे में रखते हुये समस्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 02.06.2014 को हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में कराते हुये और दिनांक 02.06.2014 को ही न्यायालय श्रीमान द्वारा एकतरफा में अपील में आदेश पारित कर दिये की जो आदेश न्यायालय श्रीमान में हर सूरत में काबिले मन्सूखी है। आदेश दिनांक 02.06.2014 को न्यायालय श्रीमान द्वारा हमें बिना किसी सूने व हमारी बिना किसी जात खास तामील के कराये ही पारित कराये है। की जिस आदेश के अमल में रहने से हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के अधिकारो पर कुठाराघात होता है की जिससे हमें विवादित आराजी के हमें अपने अधिकारो से हमें कहरूम होना पड जावेगा इसलिये न्याय हित में आदेश उपरोक्त दिनांक 02.06.2014 को अपारत किया जाकर हम प्रार्थीगण को सुना जाकर पैरवी इजाजत प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को सम्बंधीत कागजात जमाबंदीयात की आवश्यकता थी जिसको प्राप्त करने हेतु मिन प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने पटवारी हल्का से 25.04.2018 को 02.06.2014 की जानकारी हासिल हुई इसके बाद हमने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया जो वकील साहब ने अदालत श्रीमान में सम्पर्क कर सम्बंधित नकले प्राप्त कर तथा कानूनी सलाह देते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी इसलिए न्याय हित में प्रार्थना पत्र हाजा अविलम्ब ही पेश किया गया। अब अप्रार्थी/अपीलान्ट उक्त गलत आदेश की आड में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर पर अमल दरामद कराने पर उतारू हो रहा है यदि अप्रार्थी अपीलान्ट अपने मन्सूबो में कामयाब हो गया तो हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को अपने अधिकारो की आराजी से महरूम होना पड जावेगा सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनिय क्षति बहक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान ही इसलिये न्याय हित में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी हो गया है की वे अपने नाम उक्त गलत आदेश की आड में राजस्व रिकार्ड पत्र आदी में अपने नाम अमल दरामद न करावे ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि इन्तकाल संख्या 532 ग्राम आकोली ग्राम पंचायत उजौली दिनांक 03.10.2007 की आराजीयात का आदेश दिनांक 02.06.2014 की आड में राजस्व आदी में अमल दरामद न करावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अभय सिंह ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा मिथ्या वो झूंठे शपथपत्र व दस्तावेजात पेश किये है। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 की प्रोपर तामील करवाई गई थी तथा बाद तामील

उप खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने आदेश की पालना में दिनांक 18.06.2013 को अपने हस्ताक्षर से अखबार साय के लिए आदेश करते हुवे जर्ये प्रतिवादीगण तामील के द्वारा रेस्पो0 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2013 के अखबार में प्रतिस्थापित तामील निकलवाई तथा रेस्पो0 को दिनांक 25.07.2013 को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है लेकिन रेस्पो0 दिनांक 25.07.20213 को उपस्थित नही हुवे तो दीवानी प्रावधानो के अनुसार ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय अमल में लाई गई थी, यंहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि रेस्पो0 से प्रार्थी/अपी0 ने व्यक्तिगत भी कहा था कि आप दिनांक 25.07.2013 को न्यायालय श्रीमान के यहा हो जाये लेकिन रेस्पो0 ने जानबूझ कर न्यायालय श्रीमान में उपस्थिति दर्ज नही करवाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूप्योग किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/अपी0 को नियमानुसार सुन कर ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रार्थना पत्र बेरून म्याद है तथा प्रीम्चियोर है चूंकि न्यायालय श्रीमान के निर्णय की अक्षरशः पालना में पत्रावली तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड की जा चुकी है कार्यवाहीयों की बाहुल्यता एवं लिटिगेशन की बाहुल्यता को बढ़ाया जाना विधि सम्मत नही है प्राकृति न्याय के सिद्धान्त वो कानून की मंशा भी यही है कि तुरन्त न्याय मिलना चाहिए। अब चूंकि अंतिम न्याय निर्णयन होने वाला है उक्त स्थिति में प्रार्थी/रेस्पो0 को एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय वो डिक्री अपास्त कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 कोई किसी प्रकार की हुक्मइम्तनाई दवामी प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 हरसूरत में काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी/अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वांन प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कहा कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान ने विस्तृत तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी पूरी आशा है। पेश कर्दा प्रार्थना पत्र, व शपथ पत्र से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान विस्तृत तथ्यो सहित न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी–पूरी आशा है। पेश कर्दा प्रार्थना पत्र, व शपथ पत्र से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान का प्रार्थना पत्र बखूबी प्राईमाफेसाई आयद व साबित होता है। उपरोक्त अनुवान की अपील न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन थी की जिसका निस्तारण एक तरफा में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 02.06.2014 को पारित किया जा चुका है नकल आदेश संलग्न है। आदेश दिनांक 02.06.2014 की जानकारी मिन प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान को कभी भी नही थी और ना ही कभी भी हमारी किसी भी न्यायालय श्रीमान द्वारा जात खास ही तामील ही कराई गई है बल्कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बाला बाला फर्जकार करते हुये तथा न्यायालय श्रीमान का अन्धेरे में रखते हुये समस्त कार्यवाही करते हुये दिनांक 02.06.2014 को हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में कराते हुये और दिनांक 02.06.2014 को ही न्यायालय श्रीमान द्वारा एकतरफा में अपील में आदेश पारित कर दिये की जो आदेश न्यायालय श्रीमान में हर सूरत में काबिले मन्सूखी है। आदेश दिनांक 02.06.2014 को न्यायालय श्रीमान द्वारा हमें बिना किसी सूने व हमारी बिना किसी जात खास तामील के कराये ही पारित कराये है। की जिस आदेश के अमल में रहने से हम प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टान के अधिकारो पर कुठाराघात होता है की जिससे हमें विवादित आराजी के हमें अपने अधिकारो से हमें कहरूम होना पड जावेगा इसलिये न्याय हित में आदेश उपरोक्त दिनांक 02.06.2014 को अपास्त किया जाकर हम प्रार्थीगण को सुना जाकर पैरवी इजाजत प्रदान किया जाना न्याय संगत है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वांन अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वांन अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा मिथ्या वो झूंठे शपथपत्र व दस्तावेजात पेश किये है। अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 की प्रोपर तामील करवाई गई थी तथा बाद तामील रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने आदेश की पालना में दिनांक 18.06.2013 को अपने हस्ताक्षर से अखबार साय के लिए आदेश करते हुवे जर्ये प्रतिवादीगण तामील के द्वारा रेस्पो0 को उपस्थित होने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2013 के अखबार में प्रतिस्थापित तामील निकलवाई तथा रेस्पो0 को दिनांक 25.07.2013 को उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है लेकिन रेस्पो0 दिनांक 25.07.20213 को उपस्थित नही हुवे तो दीवानी प्रावधानो के अनुसार ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय अमल में लाई गई थी, यंहा इस तथ्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि रेस्पो0 से प्रार्थी/अपी0 ने व्यक्तिगत भी कहा था कि आप दिनांक 25.07.2013 को न्यायालय श्रीमान के यहा हो जाये लेकिन रेस्पो0 ने जानबूझ कर न्यायालय श्रीमान में उपस्थिति दर्ज नही करवाकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूप्योग किया है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/अपी0 को नियमानुसार सुन कर ही रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रार्थना पत्र बेरून म्याद है तथा प्रीम्वियोर है चूंकि न्यायालय श्रीमान के निर्णय की अक्षरशः पालना में पत्रावली तहसीलदार कोटकासिम को रिमाण्ड की जा चुकी है कार्यवाहीयों की बाहुल्यता एवं लिटिगेशन की बाहुल्यता को बढ़ाया जाना विधि सम्मत नही है प्राकृति न्याय के सिद्धान्त वो कानून की मंशा भी यही है कि तुरन्त न्याय मिलना चाहिए। अब चूंकि अंतिम न्याय निर्णयन होने वाला है उक्त स्थिति में प्रार्थी/रेस्पो0 को एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय वो डिक्री अपास्त कराने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 कोई किसी प्रकार की हुक्मइम्तनाई दवामी प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पो0 हरसूरत में काबिल खारिज है। खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

मूल प्रार्थना पत्र 75 एल.आर.एक्ट का था जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत उजोली के इंतकाल सं0 532 के आधार पर प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम वादभूमि विरास्तन दर्ज हुई थी अर्थात उक्त आदेश से प्रारम्भिक तौर पर पक्षकारान के अधिकारो का विनिश्चयात्मक निर्णय हुआ, इसके पश्चात न्यायालय तहसीलदार की सुनवाई में अन्तिम निर्णय हुआ, मगर उक्त अन्तिम निर्णय से पूर्व प्रारम्भिक निर्णय में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा इंतकाल निरस्त करने का निर्णय वादभूमि के संदर्भ में पक्षकारान के अधिकारो को प्रभावित करने वाला निर्णय था। उक्त निर्णय एकपक्षीय साक्ष्यो पर आधारित था, इसलिए यदि प्रभावित पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्यो व तथ्यों के आधार पर उपना पक्ष रखना चाहते है तो उन्हे अवसर दिया जाना न्यायसंगत है। विधि का सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण (वाद/प्रार्थना पत्र) में सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का सम्यक अवसर दिया जाना चाहिए। यदि किसी पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित हुई है तो पक्षकार को अपना पक्ष रखने, साक्ष्य पेश करने व बचाव करने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नही हुआ है। नैसिर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई व बचाव का अवसर दिया जाना चाहिए।

हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/मूल प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाए गए, मगर रजिस्टर्ड डाक या ए.डी. लौट कर नही आई। रजिस्टर्ड डाक की रसीद से 30 दिन का समय व्यतीत होने पर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रजिस्टर्ड डाक या ए.डी. के न लौटने के कारण 30 दिन बाद एकपक्षीय कार्यवाही

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अमल में लाना विधिपूर्ण है, मगर उक्त रजिस्ट्री प्रार्थी को प्राप्त हुई है, यह अभिनिर्धारित किया जाना पूर्णतया साबित नही है। इसी प्रकार जरिये अखबार तामिल करवाया जाना भी उचित प्रयास है अर्थात मूल वादी ने तामिल के प्रयास किए मगर क्या उन प्रयासो से प्रार्थीगण वाद के बारे में अवगत हुआ व प्रार्थीगण को वाद की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नही हुआ यह साबित नही है। प्रार्थीगण जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय में उपस्थित आया, उक्त जानकारी के बाद प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हाकर अपने हितो की पैरवी करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त "S.B Civil Misc. Appeal No. 338 of 2001 Decided on 21 st Agust 2006" पेज न0 357, 2007 (I) RLW Vege Pro Foods & Feeds Ltd V/s M/S J.Shreelal & sons में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर पीठ अभिनिर्धारित किया है "प्रत्येक व्यक्ति को सुने जाने का अधिकार प्राप्त है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से निकलता है– एकपक्षीय डिक्री अपास्त की जा सकती है बशर्ते कि न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण पेश किया गया हो।

हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी के विरूद्ध हुई एक पक्षीय डिक्री अपास्त की जाकर प्रार्थीगण को पुनः सुनवाई का अवसर दिया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। दौराने सुनवाई वादभूमि के रिकोर्ड एवं मौका में परिवर्तन से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है व अपूरणीय क्षति की संभावना है। वाद भूमि के रिकोर्ड एवं मौका में परिवर्तन से वाद बाहुल्यता की संभावना है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थना पत्र में दिनांक 27.04.2018 के आदेश में परिवर्तन कर अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल पत्रावली 75 एल.आर.एक्ट जारी की जाती है की अप्रार्थी वाद भूमि में राजस्व रिकार्ड एवं मौका यथास्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकुमार कस्वा (R.AS)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner